संख्या-188/2025/सा0-13/23-1-2025/23-1099/84/2025

प्रेषक,

अजय चौहान,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः11 अप्रैल, 2025

विषयः- लोक निर्माण विभाग में मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग में विभिन्न जनपदों में मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण के लिये वर्तमान में संबंधित जनपद के जनसामान्य एवं जनप्रतिनिधिगण से प्राप्त कार्यों के प्रस्तावों पर जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जनपदवार कार्ययोजना प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जाती है। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभाग में कार्ययोजना के शतप्रतिशत अंतिमीकरण का कार्य पूर्व से प्रचलित विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से किया जाय। इस हेतु विश्वकर्मा पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्गों, सेतुओं, विशेष मरम्मत एवं सड़क सुरक्षा यथावश्यक फील्ड्स/प्रारूप उपलब्ध हैं। वर्ष 2025-26 एवं आगामी वित्तीय वर्षो की कार्ययोजना का अंतिमीकरण विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार किया जायेः-

(i) सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियंता का दायित्व होगा कि वह मा0 जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत करायेंगे, जिसमें जनपद के सम्पूर्ण/समग्र विकास हेतु मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को जनपद एवं विधानसभा की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए मार्गो, सेतुओं, सड़क सुरक्षा एवं क्षतिग्रस्त मार्गों/सेतुओं के विशेष मरम्मत के कार्यो की तकनीकी साध्यता एवं उपयोगितानुसार कार्ययोजना तैयार करेंगे। इस प्रकार सेतु, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग आदि की सूची जनपदवार एवं विधान सभावार तैयार की जायेगी।

(ii) जनपद स्तर पर उक्त कार्ययोजना के अंतिमीकरण होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिशासी अभियंता डी0एस0सी0 (Digital Signature) के माध्यम से विश्वकर्मा पोर्टल पर अपने जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(iii) जनपद के जिलाधिकारी विश्वकर्मा पोर्टल पर अपने लॉगइन आई0डी0 (Login ID) से डी0एस0सी0 (Digital Signature) के माध्यम से कार्यों की वरीयता क्रमांक को लॉक (Lock) कर अनुमोदित करते हुए कार्ययोजना को विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्ययोजना का अंतिमीकरण जनपद स्तर पर 20 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय।

(iv) प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं विधानसभाओं में सामान्य तथा समतुल्य विकास को ध्यान में रखते हुए जनपदों से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावित कार्ययोजना की वरीयता सूची से कार्यों के चयन हेतु मुख्यालय स्तर पर तकनीकी साध्यता एवं लोक सभा/विधान सभा के अंतर्गत कुल कार्यों की लागत एवं कार्यों की लम्बाई के अनुसार कार्यो/परियोजनाओं का विश्वकर्मा पोर्टल पर जिलाधिकारियों द्वारा प्राप्त वरीयता के क्रम में चयन किया जाये। मार्गो के संबंध में विभागाध्यक्ष तथा मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1) एवं सेतुओं के संबंध में विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता (सेतु) तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा अध्ययन/परीक्षण कर शासन के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने के उपरान्त विश्वकर्मा पोर्टल पर डी0एस0सी0 (Digital Signature) का प्रयोग करते हुए शासन को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) मा0 जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों की वरीयता क्रमांक के जनपद स्तर पर अंतिमीकरण होने के उपरान्त किसी विशेष परिस्थिति में वरीयता के क्रमांक मे परिवर्तन का अनुरोध किये जाने की दशा में, मा0 जनप्रतिनिधि से तद्नुसार प्रस्ताव प्राप्त कर स्पष्ट आधार विश्वकर्मा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा वरीयता के क्रमांक में परिवर्तन किया जा सकेगा। मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन का प्रस्ताव विश्वकर्मा पोर्टल पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को प्रेषित करेगें। सम्बन्धित मुख्य अभियंता प्रस्ताव को पोर्टल द्वारा उचित माध्यम से मुख्यालय/शासन को अग्रसारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्तर से पोर्टल पर कार्यों के वरीयता क्रम में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2- इस प्रकार विभाग में प्रक्रियाधीन विभिन्न योजनान्तर्गत कार्यो/परियोजनाओं का एक संग्रह (Pool) तैयार हो सकेगा, जिसके आधार पर आगामी वित्तीय वर्षो में कार्ययोजना शीघ्र-अतिशीघ्र तैयार किया जाना सम्भव होगा। फलस्वरूप समयबद्ध रूप से कार्यो को स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी तथा परियोजनाओं को समयांतर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में विभिन्न जनपदों में मार्गो एवं सेतुओं के निर्माण के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं समयसारणी का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/अभियन्ताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं आगामी वर्षो के लिए परियोजनाओं की विभिन्न कार्ययोजनाओं को तैयार किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-188/2025/सा0-13(1)/23-1-2025-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारीगण, उ0प्र0।
3- विशेष सचिवगण, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- स्टॉफ आफिसर, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एव विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, सचिवगण, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- प्रबंध निदेशक, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- समस्त अनुभाग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अमित आसेरी
विशेष सचिव।